

उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक
07.05.2025

निर्णय दिनांक
22.05.2025

प्रकरण संख्या
78/2025

उदयराम पुत्र लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

- गणेश पुत्र जीतू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- भैरूलाल पुत्र जीतू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- शंकर दत्तक पुत्र रतनलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- हीरालाल पुत्र जीतू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- सोहन पुत्र पेमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- कालू पुत्र हरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- भैरूलाल पुत्र धन्ना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- रामेश्वरलाल पुत्र धन्ना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- पारस पत्नी नारायणलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- मुकेशचन्द्र पुत्र हरीराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- रामेश्वरलाल पुत्र हरीराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- किशनलाल पुत्र छगना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- शंकरलाल पुत्र छगना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- हीरा पुत्र मांगू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- शम्भूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
- पृथ्वीराज पुत्र छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
- हरचन्द पुत्र छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण



Page | 1
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

-: निर्णय :-


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोविन्दपुरा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 94 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 468/165, 471/170, 473/312, 475/322, 477/332, 479/370 कुल किता 06 कुल रकबा 1.46 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 22.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से 15 एवं 17 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 16 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा गोविन्दपुरा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 94 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 468/165, 471/170, 473/312, 475/322, 477/332, 479/370 कुल किता 06 कुल रकबा 1.46 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रजनीश सुवालका)
उपमुख्य अधिकारी
कपासन कपासन चित्तौड़गढ़